



## प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की संकाय एवं वैवाहिक स्थिति के आधार जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

**अनुपमा शर्मा**

शोधार्थी

शिक्षा विभाग

मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की

उत्तराखण्ड।

**डॉ० सन्तोष कुमार शर्मा**

शोध निदेशक

शिक्षा विभाग

मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की

उत्तराखण्ड।

### सारांश

मनुष्य जीवन की सभी परिस्थितियों तथा समस्याओं से सम्बन्धित सभी पहलू किसी न किसी रूप में जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचारों या मनो भावों को प्रकट करता है जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। शोधविधि सर्वेक्षण विधि को शोधार्थी ने अपने अध्ययन हेतु चयनित किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में विज्ञान एवं मानविकी, विवाहित एवं अविवाहित प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है। शोध अध्ययन में प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 160 भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे—मध्यमान, मानक विचलन एवं टी—परीक्षण आदि का प्रयोग किया है। संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में आंशिक अन्तर पाया गया। जबकि शिक्षकों का उनकी वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में आंशिक अन्तर पाया गया।

**कुंजी शब्द— संकाय, वैवाहिक स्थिति एवं जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति**

### प्रस्तावना

स्वतन्त्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में जनसंख्या शिक्षा बहुत ही पिछड़ी अवस्था में थी। बल्कि हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ नाम मात्र की थी। केन्द्र सरकार व प्रान्तीय सरकारों की समय—समय पर नियुक्त समितियों ने जनसंख्या शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया। 1906—07 की संयुक्त प्रान्त सरकार

में जनसंख्या शिक्षा की मांग का अभाव था तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण जनसंख्या शिक्षा विकास नहीं कर पा रही थी। यद्यपि संयुक्त प्रान्त में कन्या कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं बाद में सह शिक्षा वाले कॉलिजों में प्रवेश लिया जाने लगा। 1921 में इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के पास होने पर व 1922 में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परिषद की स्थापना होने पर शिक्षा का भार इन पर आ गया।

आरम्भ में जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन जनगणनाओं द्वारा एकत्रित जानकारी तक ही सीमित था। वैसे तो मानव प्राचीन काल से जनसंख्या के आधार पर वितरण एवं संयोजन के सम्बन्ध में अध्ययन करता आया है।

परन्तु वर्तमान में जनसंख्या के अध्ययन में आधुनिक सांख्यिकी तथा गणितीय पहलुओं का समावेश हो गया है। फलस्वरूप जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन का विस्तार हो गया है। इसे जनांकिकी के नाम से भी जाना जाता है। जनांकिकी का व्यवस्थित अध्ययन सन् 1960 से माना जाता है। जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन के संस्थापक के रूप में माल्थस का नाम सबसे प्रसिद्ध है। वर्तमान में जनांकिकी के अन्तर्गत अध्ययन जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का गठन और

जनसंख्या के परिवर्तन के पहलुओं में किया जाता है। प्रक्रियाओं के आधार पर यदि हम जनांकिकी के सम्बन्ध में विचार करें तो इसमें प्रजनन, मृत्यु, विवाह, देशान्तर और सामाजिक गतिशीलता इन पांचों प्रक्रियाओं पर विश्लेषण किया जाता है। ये प्रक्रियायें जनसंख्या के गठन, आकार एवं वितरण को प्रभावित करती हैं।

वर्तमान समय में यदि देखा जाय तो जनसंख्या शिक्षा का विकास सन्तोषजनक अवस्था में नहीं है। यह आकांक्षा स्तर से बहुत निम्न अवस्था में है जिसका मुख्य कारण है जनसंख्या शिक्षा के विकास में आने वाली बाधायें जैसे— धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियां, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारिवारिक स्थिति, बालिकाओं के प्रति अनुचित व्यवहार एवं दृष्टिकोण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव, विद्यालयों का दूर स्थित होना इत्यादि समस्यायें हमारे समक्ष खड़ी हुई हैं। धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियां इस प्रकार से समाज में अपना अस्तित्व बना चुकी हैं कि विज्ञान का युग होने के बाद भी करोड़ों भारतीय आज भी उन रूढ़ियों से स्वयं को अलग नहीं कर सके हैं।

यद्यपि आज का युग विज्ञान का युग है तथा विज्ञान ने सभी सामाजिक रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, दोषपूर्ण नीतियों को संप्रभाव नकार दिया है फिर भी हमारे देश में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभी भी सीमित, संकुचित, रूढ़िवादी संकीर्ण विचार पाए जाते हैं। जनसंख्या शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण के अभाव के कारण जनसंख्या शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक कठिनाइयों के कारण भी जनसंख्या शिक्षा अवरुद्ध हो रही है। साथ ही साथ अभी भी समाज के लोग जनसंख्या शिक्षा व काम शिक्षा को अनिवार्य नहीं मान रहे हैं जबकि देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। विद्वानों का मत को आज भी हमारी जनता, शासन एवं प्रशासन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अन्य विषयों के समान ही जनसंख्या शिक्षा को भी अनिवार्य करने की महती आवश्यकता है। जबकि इसको माध्यमिक स्तर से ही एक अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन की आवश्यकता है। बालक एवं बालिकाओं दोनों को एक अनिवार्य विषय के रूप में इसका अध्ययन कराया जाना चाहिए। लेकिन दोषपूर्ण प्रशासन के कारण जनसंख्या शिक्षा का सही रूप में एवं सही दिशा में विकास नहीं हो पा रहा है। लगभग सभी राज्यों में जनसंख्या शिक्षा का प्रशासनिक भार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों पर ही है जिसके कारण सम्भवतः ये न तो जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ पाते हैं और न ही जनसंख्या शिक्षा में रुचि ही ले पाते हैं। इस परिस्थिति का प्रभाव शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है।

अतः जनसंख्या शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि गाँव में अधिकतर अशिक्षित लोग रहते हैं। जो बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव को समझने में सक्षम नहीं हैं जिससे वहाँ का माहौल आज भी पूर्णतया रूढ़िवादिता, धर्म में विश्वास, लड़के—लड़कियों में अन्तर आदि से मुक्त नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप जनसंख्या को रोकना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनसंख्या शिक्षा के मार्ग में खड़ी बाधाओं को हटाने का प्रयास करना चाहिए एवं जनसंख्या शिक्षा के प्रसार में सहयोग देना चाहिए। इसके लिए सरकार एवं जनता दोनों को आमने—सामने आना चाहिए। यह सच है कि भारत सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। संविधान में स्त्रियों—पुरुषों के समान अधिकार, दहेज निषेध कानून, बाल—विवाह निषेध कानून, न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश, समान कार्य के लिए समान वेतन, नवीन शिक्षा नीति में समानता के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इसके उदाहरण है। साथ ही निःशुल्क परिवार नियोजन हेतु दवाईयां, निःशुल्क ऑपरेशन, परन्तु कानून व नीतियां बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। अतः वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से इन क्षेत्रों में प्रयासरत होने पर ही जनसंख्या शिक्षा की वर्तमान स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकता है। इसी क्रम में संकाय के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति प्राथमिक स्तर के भावी शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

### जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य उस कार्यक्रम से है जो विद्यार्थियों व युवा पीढ़ी को जनसंख्या की वृद्धि का व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराते हुए जनसंख्या जाग्रति और उसके प्रति दृष्टिकोण का विकास करता है।

### यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित परिभाषा

‘जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समूह, राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों में आदर्श एवं जिम्मेदारी पूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यवहार को विकसित करती है।’

### अभिवृत्ति

विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति तथा एक विशिष्ट परिस्थिति में विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार उनकी अभिवृत्ति का प्रतिबिम्ब होता है।

मैकाईवर के अनुसार, ‘किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके व्यवहार का नियामक तत्व है।’

### शोध की आवश्यकता

शिक्षा के माध्यम से बालक का आत्मोत्थान एवं भावी पीढ़ी का कल्याण होगा। भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में जहाँ एक ओर जनमानस में अपने शाश्वत् मानवीय मूल्यों से विचलित न होने का गुण है वहीं इस बदलते हुए समाज में ढालने व सामन्जस्य बनाए रखने का गुण भी सन्निहित है। वर्तमान एवं भविष्य के अनुसार यह आवश्यकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से पनपने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए एवं देश को विकसित देशों की श्रेणी में जोड़ने के लिए जनसंख्या शिक्षा देश के सभी नागरिकों को दी जानी चाहिए।

### शोध समस्या कथन

समस्या एक प्रश्नावाचक कथन होती है जिसका उत्तर निश्चित होता है, परन्तु शोध समस्या का चयन करने के लिए शोधार्थी को शोध साहित्य जो विषय से सम्बन्धित होते हैं उनका अवलोकन किया जाता है।

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की संकाय एवं वैवाहिक स्थिति के आधार जनसंख्या शिक्षा के प्रति

### अभिवृत्ति का अध्ययन

### शोध में प्रयुक्त प्रत्ययों का परिभाषीकरण

### प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षक

प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संचालित पाठ्यक्रम (डी०एल०एड०) में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी

### जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या शिक्षा का स्वरूप, विषय क्षेत्र व्यापक है कि मनुष्य जीवन की सभी परिस्थितियों तथा समस्याओं से सम्बन्धित सभी पहलू किसी न किसी रूप में जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं।

### अभिवृत्ति

अभिवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचारों या मनोभावों को प्रकट करता है जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं।

### प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य

उद्देश्य एक ऐसा बिन्दु होता है जो एक निर्देशक क्रिया के रूप में कार्य करता है तथा शोध कार्य हेतु मार्ग दर्शन करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- 1- संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
- 2- वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

### प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

परिकल्पना एक ऐसा बिन्दु होता है जो एक शोध कार्य में भावी परिणामों को आधार प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखिति परिकल्पनायें हैं—

- 1- संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- 2- वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

### प्रस्तुत शोध अध्ययन का परिसीमन

- 1- प्रस्तुत शोध अध्ययन सहारनपुर जनपद में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों तक सीमित किया गया है।
- 2- प्रस्तुत शोध अध्ययन सहारनपुर जनपद के विज्ञान एवं मानविकी के प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों तक सीमित किया गया है।
- 3- प्रस्तुत शोध अध्ययन सहारनपुर जनपद के विवाहित एवं अविवाहित प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों तक सीमित किया गया है।

### सम्बन्धित साहित्य का समीक्षा

बहुगुणा अल्का एवं ए०के०नौटियाल (2022) ने अपना शोध ‘माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन (उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में)’ विषय पर पूर्ण किया। जनसंख्या जागरूकता

विकासशील देशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर अधिकतम जनसंख्या का भाग किशोरावस्था अथवा युवा वर्ग की है, वर्तमान में लगभग सभी विकासशील देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस दृष्टि से लोगों में विशेषकर युवा वर्ग में जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है।

**निशा पाण्डेय (2020)** के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ‘जनसंख्या समस्या एवं जनसंख्या शिक्षा के प्रति शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मध्य जागरूकता एवं अभिवृत्ति के स्तर की पहचान करना’ है। ऑकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं काई वर्ग का प्रयोग किया गया इनके अध्ययन के निष्कर्ष निम्नवत् थे—

- 1- कला एवं विज्ञान वर्ग के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में अधिकांश राष्ट्र की जनसंख्या समस्या से परिचित थे।
- 2- अधिकांश कला एवं विज्ञान के प्रशिक्षणार्थी तथा महिला प्रशिक्षणार्थी जनसंख्या शिक्षा के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
- 3- जब पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता एवं अभिवृत्ति की तुलना की गयी तो पाया गया कि जागरूकता एवं अभिवृत्ति के प्रति लोगों में धनात्मक दृष्टिकोण है।

**डा० डी०एस० गड्डिया एवं राखी (2019)** ने अपना शोध ‘जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर सामाजिक—आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन’ जनसंख्या शिक्षा आत्मोत्थान तथा भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा मानव को वह चिन्तन शक्ति प्रदान करती है जिससे वह अपने स्वास्थ्य, समाज एवं राष्ट्र हित को समझ सकता है।

परिणामों में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर क्षेत्र का सार्थक प्रभाव पाया गया है। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की तुलना में उच्च पायी गयी है। जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर सामाजिक—सांस्कृतिक स्तर, आर्थिक स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर आधिपत्य, स्वास्थ्य स्तर एवं सामाजिक—आर्थिक स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया है। जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर शैक्षिक स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया है।

### प्रस्तुत शोध अध्ययन की शोधविधि

सभी शोध विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के पश्चात् यह पाया गया कि सामान्यः सर्वे विधि का प्रयोग ही अधिकांश अनुसन्धानों में किया जाता है। इसी कारण सबसे उपयुक्त शोधविधि सर्वेक्षण विधि को शोधार्थी ने अपने अध्ययन हेतु चयनित किया।

### प्रस्तुत शोध अध्ययन की जनसंख्या

इकाईयों के समूचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट है, जनसंख्या कहते हैं। जैसे चावल के उदाहरण में बटलोई का चावल जनसंख्या है तो वही रक्त—परीक्षण में उदाहरण में शरीर का सम्पूर्ण रक्त जनसंख्या है। जनसंख्या का अर्थ अध्ययन की इकाईयों के समूह के रूप में लिया गया है। अध्ययन की इकाईयाँ मनुष्य, पशु, कोई

वस्तु, कोई परीक्षण या कोई प्रयोग कुछ भी हो सकता है। जनसंख्या को भली—भाँति परिभाषित करना अनिवार्य है और इसी परिभाषा पर उसकी अवयवी इकाईयों की परिभाषा आश्रित होगी। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों के महिला एवं पुरुष भावी शिक्षकों को विज्ञान एवं मानविकी, विवाहित एवं अविवाहित के आधार पर चयनित किया गया है।

### **प्रस्तुत शोध अध्ययन का न्यादर्श**

न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत आंकड़ा संग्रह की तिथि को संस्थाओं में शिक्षक—प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता आधार पर किया गया है। जिससे कि न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता रहे। यह चयनित करना कठिन है कि विभिन्न प्रकार के स्तरों के सभी विद्यार्थियों में समानता होगी। इसी कारण से स्तरीकृत न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है जिससे कि संग्रहित आँकड़ों से सही परिणाम ज्ञात किया जा सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 160 भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है।

### **प्रस्तुत शोध अध्ययन के उपकरण**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु स्वनिर्मित मापनी जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का प्रयोग किया गया है।

### **प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ**

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन में प्रदत्तों का विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे— मध्यमान, मानक विचलन एवं टी—परीक्षण आदि का प्रयोग किया है।

### **आंकड़ों का विश्लेषण**

वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनका विश्लेषण एवं विवेचन करना शोध कार्य की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विश्लेषण के आधार पर ही शोध सम्बन्धी सही निष्कर्ष तथा उपलब्धि का निरूपण किया गया है।

### **उद्देश्य— 1**

**1-** संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

### **परिकल्पना— 1**

**1-** संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या- 4.1

संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

संकाय	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी—मान	सार्थकता स्तर
विज्ञान	80	13.82	1.95	2.17*	सार्थक
मानविकी	80	13.16	1.89		

‘टी’ मूल्य  $2.17 < \text{तालिका मूल्य } 1.96 (0.05 \text{ सार्थकता स्तर})$

तालिका संख्या 4.1 के अन्तर्गत लिंग संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की अभिवृत्ति के मध्यमान में सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए तुलना की गयी हैं। प्रस्तुत तालिका में सांख्यिकीय गणना द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता के अंश 198 पर ‘टी’ परीक्षण का मूल्य 2.17 सार्थकता के स्तर पर सार्थक है जबकि 0.05 सार्थकता के स्तर पर तालिका का मान 1.96 है। उपरोक्त तालिका में उच्च मध्यमान 13.82 जो विज्ञान वर्ग के शिक्षकों का है तथा निम्न मध्यमान 13.16 जोकि मानविकी वर्ग के शिक्षकों का है। सांख्यिकीय गणना से प्राप्त ‘टी’ का मान तालिका के मान से तुलनात्मक रूप में अधिक है। इस प्रकार इस परीक्षण परिणाम में शिक्षकों की अभिवृत्ति में संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर सार्थक अन्तर पाया गया।

अतः प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर पूर्व में निर्मित शून्य परिकल्पना ( $H_0$ ) ‘संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।’ अस्वीकृत की जाती है।

उद्देश्य— 2

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।

परिकल्पना—2

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या- 4.2

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी—मान	सार्थकता स्तर
विवाहित	80	22.28	3.82	2.03*	सार्थक
अविवाहित	80	21.16	3.11		

\* ‘टी’ मूल्य  $2.03 > \text{तालिका मूल्य } 1.96 (0.05 \text{ सार्थकता स्तर})$

तालिका संख्या 4.2 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के आधार पर जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान में सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए तुलना की गयी है। इस तालिका में सांख्यिकीय गणना द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता के अंश 198 पर 'टी' परीक्षण का मूल्य 2.03 सार्थकता के स्तर पर सार्थक है 0.05 सार्थकता के स्तर पर तालिका का मान 1.96 है। उपरोक्त तालिका में उच्च मध्यमान 22.28 जो विवाहित शिक्षकों का है तथा निम्न मध्यमान 21.16 जोकि अविवाहित शिक्षकों का है। सांख्यिकीय गणना से प्राप्त 'टी' का मान तालिका के मान से तुलनात्मक रूप में अधिक है। इस प्रकार इस परीक्षण परिणाम में प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के आधार जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया।

अतः प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर पूर्व में निर्मित शून्य परिकल्पना ( $H_0$ ) 'प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनके परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।' स्वीकृत की जाती है।

### निष्कर्ष-

परिणामों के विश्लेषण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि—

- संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् सांख्यिकीय गणना के उपरान्त जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में संकाय (विज्ञान एवं मानविकी) के आधार पर भावी शिक्षकों के दृष्टिकोण में आंशिक भिन्नता पायी गयी।
- प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का वैवाहिक स्थिति (विवाहित एवं अविवाहित) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् सांख्यिकीय गणना के उपरान्त जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में विवाहित एवं अविवाहित भावी शिक्षकों के दृष्टिकोण में आंशिक भिन्नता पायी गयी।

### सन्दर्भग्रन्थ सूची

- 1- नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन : प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992), पब्लिस्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेण्ट ऑफ एजूकेशन, न्यू देहली।
- 2- नेशनल पर्सपैक्टिव प्लान फॉर वूमेन्स एजूकेशन (1988-2000) ए०डी०, न्यू देहली।
- 3- उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2021-22, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
- 4- वार्षिक रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय—2022
- 5- यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन की ऐन्यूअल रिपोर्ट— 2000
- 6- सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2021 और सेन्सस रिपोर्ट 2021 उत्तर प्रदेश ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, इण्डिया।